अनुलग्नक– 05 (ख) (द्रष्टव्य कंडिका 2.4a)

बाढ़ राहत हेतु निजी नावों के भाड़ा एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण के संबंध में पत्र

पत्रांक-1प्र0आ0-51/2007......................./आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

FAX

मनोज कुमार श्रीवास्तव,
आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
(बिहार)

पटना-15, दिनांक-

विषय:- बाढ़ राहत हेतु निजी नावों के भाड़ा एवं नाविकों की मजदूरी निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभिन्न बाढ़ प्रवण जिलों के जिला पदाधिकारियों द्वारा बाढ़ के समय में निजी नावों की आवश्यकता एवं उसके भाड़ा के निर्धारण के समय में निदेश की मांग की जा रही है । उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पूर्व में विभागीय पत्रांक-920 दिनांक-23.06.95 (प्रतिसंलग्न) की कंडिका-3.3 द्वारा निदेश निर्गत किये गये थे ।

इस संबंध में निदेशित करना है कि प्रमंडलीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर अपने स्तर से कर प्रत्येक जिलों में गैर सरकारी (निजी) नावों (बड़ी एवं छोटी) के निर्धारित संख्या में रखने की अनुमति प्रदान करेंगे तथा नावों (बड़ी एवं छोटी) के दर का निर्धारण अपने प्रमंडल के सभी जिलों के लिये समान रूप से करेंगे ।

जहाँ तक निजी नाव के नाविकों की मजदूरी निर्धारण का प्रश्न है, इस संबंध में आवश्यक निदेश श्रमसंधान विभाग से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त की जा रही है जिसे प्राप्ति के उपरांत शीघ्र संसूचित किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

आयुक्त एवं सचिव

FAX

ज्ञापांक:.......2272......./आ0प्र0 दिनांक-26-7-07

प्रतिलिपि: सभी जिला पदा0 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

आयुक्त एवं सचिव